आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) नेहारिका कच्छप एवं (2.) प्रणव कच्छप दोनों के पिता स्व0 केनेथ कच्छप, निवास स्थान-हुडहुडु, राँची-पटना रोड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0-157, खाता संख्या-60, प्लॉट संख्या-1049, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुजेन सिमरन फ्रांसिस पिता संजय फ्रांसिस, निवास स्थान हुडहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-659/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3422/रा0 दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1484 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि दानपत्र से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियान डमर दुसाध वगै0 के नाम से है, जबकि दानपत्र दस्तावेज नलिनी मराण्डी के नाम से है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.30 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.23 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-96/।।। पर नलिनी मराण्डी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदकगण की सौतेली माँ हैं, जो नावल्द हैं। पूर्ण भूमि आवेदकगण की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदकगण के पास रकवा 0.17 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकगण के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कार्रवाई [illegible] टिप्पणी तार[illegible]
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। संलग्न आवासीय प्रमाण-पत्र अनुसार क्रेता एवं विक्रेता थाना-सदर के निवासी हैं एवं जाति प्रमाण-पत्र अनुसार विक्रेता अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत उराँव एवं क्रेता चिक बड़ाईक अंतर्गत हैं। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) नेहारिका कच्छप एवं (2.) प्रणव कच्छप दोनों के पिता स्व0 केनेथ कच्छप, निवास स्थान-हुडहुडु, राँची-पटना रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0-157, खाता संख्या-60, प्लॉट संख्या-1049, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुजेन सिमरन फ्रांसिस पिता संजय फ्रांसिस, निवास स्थान हुडहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.29 16:11:51 +05:30
Location: 192.168.100.2